



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234293
CG-DL-E-17032022-234293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1164]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 17, 2022/फाल्गुन 26, 1943

No. 1164]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2022/PHALGUNA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2022

का.आ. 1204(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 78(अ) दिनांक 04 फरवरी, 1999 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के पानागढ़ से कोलकाता सेक्शन के 516.000 किमी से 670.000 किमी तक का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है ;

तथा जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 2955 (अ) दिनांक 21.11.2014 द्वारा यांत्रिक वाहनों पर पानागढ़ से पालसित सेक्शन के 520.103 कि.मी से 587.853 किमी तक चार लेन के उपयोग के लिए शुल्क उदगृहीत और संग्रह करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया:

तथा जबकि, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के उपबंध के अनुसरण में, पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग -19 के पानागढ़ से पालसित सेक्शन के 521.120 किमी से 588.870 किमी तक के छह लेन हेतु विकास के लिए दिनांक 04.03.2021 को प्रस्तुत बोलियों के लिए सफल बोलीदाता मैसर्स पानागढ़ पालसित रोड प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय अडानी कॉर्पोरेट हाउस, शांतिग्राम, वैष्णो देवी सर्कल के पास, एसजी हाईवे, खोडियार, अहमदाबाद-382421, गुजरात, भारत में है(जिसे इसके पश्चात 'रियायतग्राही' कहा जाए), के साथ दिनांक 14.06.2021 को करार (जिसे इसके पश्चात् "उक्त करार" कहा जाए) किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5.12.2008 के नियम 3 के साथ पठित और संशोधित नियम सा.का.नि.950(अ), तारीख 3.12.2010, सा.का.नि.15 (अ), तारीख 12.1.2011, सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12.10.2011, और सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16.12.2013, सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21.11.2014, सा.का.नि. 02(अ), तारीख 29.12.2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23.03.2015 और करार की अंतिम तारीख तक किसी अन्य संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, रखरखाव, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क की कुल लम्बाई 67.750 कि.मी. [जिसमें 67.253 कि.मी. की सड़क और 496.67 मीटर की सरचनाएं शामिल है (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 4.97 कि.मी. है] (निर्माण अवधि के दौरान) तथा सड़क की कुल लम्बाई 67.750 कि.मी. [जिसमें 67.253 कि.मी. की सड़क और 496.67 मीटर की सरचनाएं शामिल है (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 4.97 कि.मी. है] (छह लेन को पूर्ण करने के पश्चात्) के चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए (बाद में "आधार दर" के रूप में संदर्भित) उक्त रियायतग्राही को नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्धृत एवं संग्रहीत करती है एवं उक्त रियायतग्राही वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है;

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर (रुपये में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर उपरोक्त तालिका 1 में उल्लिखित आधार दर पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा, अर्थात् :-

i. निर्माण अवधि के दौरान देय शुल्क:

सारणी 2(i)		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पूर्व वर्धमान जिले में पलसित गांव के निकट 587.190 कि.मी. (चैनेज) पर	67.253(497 मी.की लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	वार्षिक संशोधन के बिना उपरोक्त तालिका 1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%

(ii) छह लेन के पूरा होने के बाद देय शुल्क:

सारणी 2(ii)		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पूर्व वर्धमान जिले में पलसित गांव के निकट एनएच-19 के 587.190 कि.मी. (चैनेज) पर	67.253(497 मी.की लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऊपर तालिका 1 में उल्लिखित आधार दर पर निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा -:

(i) निर्माण अवधि के दौरान देय शुल्क:

सारणी 3(i)				
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	संरचना का अवस्थान	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई जिसके लिए शुल्क देय है (कि.मी.में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पूर्व वर्धमान जिले में पलसित गांव के निकट एनएच-19 के 587.190 कि.मी. (चैनेज) पर	582.840 कि.मी. आरओबी पर	496.670	4.97	वार्षिक संशोधन के बिना उपरोक्त तालिका 1 में उल्लिखित आधार दरों का 75%

(ii) छह लेन के पूरा होने के बाद देय शुल्क:

सारणी 3 (ii)				
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	संरचना का अवस्थान	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई जिसके लिए शुल्क देय है (कि.मी.में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
पूर्व वर्धमान जिले में पलसित गांव के निकट एनएच-19 के 587.190 कि.मी. (चैनेज) पर	582.840 कि.मी. आरओबी पर	496.670	4.97	ऊपर सारणी -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

संरचनाओं का विवरण (60 मी. से अधिक) निम्नानुसार है:

क्र.सं.	चैनेज शुरू होते हुए (कि.मी. पर)	चैनेज समाप्त होते हुए (कि.मी. पर)	संरचना का प्रकार और नाम	कुल लम्बाई (मी.)
1	582.600 कि.मी.	583.096 कि.मी.	शक्तिगढ़ आरओबी	496.670

3. परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि (नियत तिथि से 910 दिन) और वास्तविक समापन की तारीख के बीच विलंबित अवधि, यदि इसमें देरी हो रही है, के लिए कोई प्रयोक्ता शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस नियम के प्रयोजनों के लिए, परियोजना के किसी भी अनंतिम समापन को परियोजना के पूर्ण होने के रूप में नहीं माना जाएगा।

4 जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285.00/- रूपए (दो सौ पचासी रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-4		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास अथवा अधिक	भुगतान की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट शुल्क के बराबर का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे रियायतग्राही के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और तदनुसार उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार की गई वृद्धि की तारीख से 6 (छह) माह की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/सीओ/21-22/फी नोटिफिकेशन/बीओटी/पानागढ़-पलसित सेक्शन(521.120-588.870)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2022

S.O. 1204(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 78(E) dated the 4th February, 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 516.000 to km 670.000 of Panagarh to Calcutta Section of National Highway 2 in the State of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification S.O. No. 2955(E) dated 21.11.2014 of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of four lane of Panagarh to Palsit section from km 520.103 to km 587.853.

And Whereas, pursuant to the provisions of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 14.06.2021 (hereinafter referred to as “said agreement”) with M/s Panagarh Palsit Road Private Limited, having its Registered Office at Adani Corporate House”, Shantigram, Near Vaishno Devi Circle, S.G. Highway, Khodiyar, Ahmedabad-382421, Gujarat, India (hereinafter referred to as “Concessionaire”), the successful bidder for bids submitted on 04.03.2021 for the development of Panagarh to Palsit section from Km.521.120 to Km.588.870 on National Highway 19 in the State of West Bengal (hereinafter referred to as the “said section”) to six lane and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011 and G.S.R 778 (E) dated 16th December, 2013, G.S.R 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R. 2(E) dated 29th December, 2014, G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015 and its subsequent amendments upto bid due date, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for total road length of 67.750 km [including 67.253 km road and 496.67 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 4.97 km] (during construction period) and for total road length of 67.750 km [including 67.253 km road and 496.67 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 4.97 km] (after completion of six laning) for use of four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-Axle Commercial Vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza, at the base rate mentioned in Table 1 above, for the distance specified for such Fee Plaza(s), namely:-

i. Fee payable during Construction Period:

Table 2 (i)		
Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km.587.190 (Chainage) near Palsit village in Purba Bardhaman district	67.253 (Excluding 497 m length of structures)	75% of the base rates mentioned in Table 1 above without annual revision

ii. Fee payable after completion of six laning:

Table 2 (ii)		
Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in Km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km.587.190 (Chainage) of NH-19 near Palsit village in Purba Bardhaman district	67.253 (Excluding 497 m length of structures)	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10, at the base rate mentioned in Table 1 above:-

(i) Fee payable during Construction Period:

Table 3 (i)				
Location of Toll Plaza (chainage)	Location of structure	Length of structure (in mtrs) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
Km.587.190 (Chainage) of NH-19 near Palsit village in Purba Bardhaman district	ROB at Km.582.840	496.670	4.97	75% of the base rates mentioned in Table 1 above without annual revision

(ii) Fee payable after completion of six laning:

Table 3 (ii)				
Location of Toll Plaza (chainage)	Location of structure	Length of structure (in mtrs) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
Km.587.190 (Chainage) of NH-19 near Palsit village in Purba Bardhaman district	ROB at Km.582.840	496.670	4.97	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

The details of structure (> 60 m length) are as under:-

Sl. No.	Start Chainage (at Km)	End Chainage (at Km)	Type and name of the structure	Total length (mtr.)
1	Km.582.600	Km.583.096	Shaktigarh ROB	496.670

3. No user fee shall be levied for the delayed period between the Scheduled date of completion (910 days from the Appointed Date) and the date of actual completion of the project, if it is delayed. For the purposes of this rule, any provisional completion of the project shall not be treated as completion of the project.

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs.285.00 (Rupees Two Hundred Eighty Five only) for the year 2021-22 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Table 4		
Amount payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty Four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from the date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the rules, shall not be permitted to use the National Highway for crossing the fee plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in-charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency as per the applicable provision in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table 1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/CO/21-22/FeeNotification/BOT/Panagarh - Palsit Section(521.120-588.870)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.